उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-593/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(188)-2021
लखनऊः दिनांकः२९ जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं0-क0नि0-2-159/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(107)-2018 दिनांक 31 जनवरी, 2018, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही यथास्थिति तक के लिये संदेय विलंब फीस की कुल धनराशि, जो कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक है, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो **प्ररूपजीएसटीआर- 1** में जावक पूर्तियों के ब्योरों का विवरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्: -

सारणी

क्रमांक (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	धनराशि (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनकी कर अवधि में कोई जावक पूर्तियां नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 के अधीन आच्छादित उन व्यक्तियों के सिवाय	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 के अधीन आच्छादित उन व्यक्तियों के सिवाय	दो हजार पांच सौ रुपये

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव